भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2096

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों की उपलब्धता

2096. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में वर्तमान डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात संबंधी आंकड़े हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान इस अनुपात में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/डीएनबी) मेडिकल सीटों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का रिकॉर्ड है और इसी अवधि के दौरान इनमें किस प्रकार सुधार हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा राज्यों, विशेष रूप से वंचित या ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने डॉक्टर-रोगी अनुपात के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की समीक्षा की है और यदि हां, तो भारत की तुलना अमरीका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से किस प्रकार की जाती है; और

(ङ) क्या सरकार के पास भारत में प्रशिक्षित उन डॉक्टरों के आंकड़े हैं, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्य देशों में बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए भारत छोड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): आयुष चिकित्सा पद्धति में 13,86,157 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर और 7,51,768 पंजीकृत प्रैक्टिशनर्स हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जनसंख्या में डॉक्टर का 1:1000 अनुपात रखने की अनुशंसा करता है। यह मानते हुए कि एलोपैथिक और आयुष दोनों प्रणालियों में 80% पंजीकृत प्रैक्टिशनर्स उपलब्ध हैं, देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:811 होने का अनुमान है, जो वर्ष 2020 में 1:845 था।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या में बढ़ाई है। वर्ष 2014 से आदिनांक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780, स्नातक (यूजी) सीटें 51,348 से बढ़कर 1,15,900 और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटें 31,185 से बढ़कर 74,306 हो गई हैं।

मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए, सरकार अल्पसेवित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है:

i. जिला/रेफरल अस्पताल, जिसमें 157 अनुमोदित मेडिकल कॉलेज में से 131 नए मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं, का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना।
ii. एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना।
iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का एक घटक "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक/ट्रॉमा केयर सेंटर आदि के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" से संबंधित है। इस घटक के अंतर्गत 75 परियोजनाओं में से 71 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। अन्य घटक नए एम्स की स्थापना के लिए है, जिसमें 22 एम्स को अनुमोदित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और/या स्नातक (यूजी)/स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों को बढ़ाने के लिए अवसंरचना/संकाय मानदंडों में छूट दी है, जिसमें निम्न शामिल हैं:

i. मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अनिवार्य भूमि की आवश्यकता को हटा दिया गया है।
ii. एमबीबीएस पाठ्यक्रम में विषयों की संख्या तेईस (23) से घटाकर बीस (20) कर दी गई है।
iii. अवसंरचना, उपकरणों और जनशक्ति की संख्या में वृद्धि के लिए चरणबद्ध और आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण की अनुमति दी गई है।
iv. पीजी पाठ्यक्रम अब दो (2) सीटों के साथ न्यूनतम बीस (20) बिस्तर वाले और केवल दो संकायों के साथ शुरू किए जा सकते हैं, जिसमें वरिष्ठ रेजिडेंट की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि पहले तीन संकाय और एक वरिष्ठ रेजिडेंट की आवश्यकता होती थी।
v. चिकित्सा संस्थानों को यूजी पाठ्यक्रम शुरू करने के एक वर्ष बाद पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु आवेदन करने की अनुमति दी गई है।
vi. संकाय की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति हेतु डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।
vii. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्राचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तक बढ़ाई गई है।
viii. एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रत्यायित मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों से एमएससी और पीएचडी (प्रासंगिक चिकित्सा) योग्यता वाले गैर-चिकित्सा स्नातकों को संकाय के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
ix. गैर-शिक्षण सलाहकार/विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी और डिप्लोमा धारकों को सहायक प्रोफेसर के लिए पात्र बनाया गया है।

****